इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ४१४]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2015—आश्विन 16, शक 1937

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 19-64-2015-एक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट के खण्ड (3) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1999 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची-एक (नियम 5 देखिए)

#### वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सिम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान ग्रेड पे (5)
1	संयुक्त निर्वाचन आयुक्त/सचिव	1	प्रथम श्रेणी	37400—67000+10000
2	सहायक निर्वाचन आयुक्त/उप सचिव	2	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600
3	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100+8700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	विधिक सलाहकार	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600
5	उप सचिव	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600
6	अवर सचिव	3	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600
6 ए.	अवर सचिव (विधि)	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600
7	स्टाफ आफिसर	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600
8	लेखा अधिकारी	2	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400
9	अनुभाग अधिकारी	6	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200
10	निज सचिव	2	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200
11	निज सचिव (अंग्रेजी)	1	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200
12	निज सहायक	2	तृतीय श्रेणी	9300—34800+3600
13	कनिष्ठ लेखाधिकारी	4	तृतीय श्रेणी	9300—34800+3200
14	सहायक ग्रेड-एक	6	तृतीय श्रेणी	9300—34800+3200
14 ए.	सहायक ग्रेड-एक	1	तृतीय श्रेणी	9300—34800+3200
15	शीघ्रलेखक	4	तृतीय श्रेणी	9300—34800+3200
16	सहायक प्रोग्रामर (भविष्य में डाइंग काडर)	. 1	तृतीय श्रेणी	5200—20200+2800
17	लेखापाल/केशियर	2	तृतीय श्रेणी	5200—20200+2400
18	सहायक ग्रेड-दो	8	तृतीय श्रेणी	5200—20200+2400
19	सहायक ग्रेड-तीन	16	तृतीय श्रेणी	5200—20200+1900
20	स्टेनो टायपिस्ट	5	तृतीय श्रेणी	5200—20200+1900
21	प्रोग्रामर	4	तृतीय श्रेणी	28350 *
22	डाटा एन्टी ऑपरेटर	4	तृतीय श्रेणी	10260 *
23	वाहन चालक	3	तृतीय श्रेणी	5200—20200+1900
24	दफ्तरी	1	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1400
25	जमादार	1	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1400
26	भृत्य/चौकीदार/संदेश वाहक	7	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300

<sup>\*</sup> टिप्पणी.—मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक ४४९८/एनआर-२/मनरेगा/२०११, दिनांक ४-5-२०११ द्वारा नियत संविदा पारिश्रमिक के आधार पर समेकित वेतन उक्त परिपत्र में समय-समय पर जब भी संशोधन हों इसे पुनरीक्षित किया जाएगा.

## अनुसूची —दो (नियम 6 देखिए) भरती का तरीका

अनुक्रमा	क पदों के नाम		भरे जाने	वाले पदों की स्	ख्या की प्रतिश्तत्	अभ्युक्तियां
( )		संख्या	गि सीधी भरती द्वारा	की पदोन्नति द्वारा	ं अन्य सेवाओं से व्यि की प्रतिनियुक्ति य स्थानांतरण द्वारा	
(1) ————	(2) 	(3)	(4)	(5) 	(6)	(7)
	त निर्वाचन त / सचिव	1		-	100 प्रतिशत	भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुपरटाईम स्केल का अधिकारी
	क निर्वाचन त∕उप सचिव	2	_	-	100 प्रतिशत	राज्य प्रशासनिक सेवा का सिलेक्शन ग्रेड का अधिकारी
	य सलाहकार ख्य लेखाधिकारी	1		-	100 प्रतिशत	मध्यप्रदेश वित्तं एवं लेखा का अपर संचालक रैंक का अधिकारी
विधिक	सलाहकार	1			100 प्रतिशत	यदि प्रातेनियुक्ति/स्थानां —तरण के आधार पर उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो तो संदिदा पर अधिकारी नियुक्त किया जाएगा
ं उप सा	चेय	1	-	100 प्रतिशत	-	पदोन्नति द्वारा / पदोन्नति होने तक अथवा उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध हो / रिक्त होने पर प्रतिनियुक्ति / स्थानंतरण के आधार पर
अवर र	चिद	3		100 प्रतिशत		पदोन्नति द्वारा
-ए अव	र सचिव(विधि)	1		१०० प्रतिशत		पदोग्नति द्वारा (विधि स्नातक)
स्टाफः	अधिकारी	1	_	100 प्रतिशत		पदोन्नति द्वारा
लेखाधि	कारी	2	<b>-</b> .	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	एक पद अनुभाग अधिकारियों के संवर्ग से भरा जाएगा तथा दूसरा पद मध्यप्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा

1 2	3	4	5	6	7
9 अनुभाग अधिकारी	6		१०० प्रतिशत		्र पदेान्नति द्वारा /
					उपयुक्त अधिकारी
				9	उपलब्ध न होने की दशा
					में पद राज्य सरकार से
					रथानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा
					भरा जाएगा
10 निज सचिव	2		१०० प्रतिशत	***	पदोन्नति द्वारा /
					उपयुक्त अधिकारी
					उपलब्ध न होने की दशा
ंकु <sup>.</sup>					्रे में पद राज्य सरकार से
					प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा
					जाएगा
11 निज सचिव(अंग्रेजी)	1	_			प्रतिनियुक्ति द्वारा
_					भरा जाएगा
12 निज सहायक	2		१०० प्रतिशत		
13 कनिष्ठ लेखाधिकार्र	. 4	_	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	
			JU MICICI	ואואואווע טכ	2 पद पदोन्नति द्वारा तथा 2 पद प्रतिनुचिक्त द्वारा भरे
					र पर क्रातानुचायत द्वारा मर जाएंगे
14 सहायक ग्रेड–1	6		१०० प्रतिशत		पदोन्नति द्वारा
१४ए सहायक ग्रेड1	1		१०० प्रतिशत		सहायक प्रोग्रामर सं
					पदान्नति द्वारा
15 शीघ्रलेखक	4	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत		दो पद पदोन्नति द्वारा तथा दो
					पद सीधी भरती द्वारा भरे
					जाएंगे
16 सहायक प्रोग्रामर	1	१०० प्रतिशत		****	भविष्य में डाइंग काडर
17 लेखापाल / कैशियर	2		१०० प्रतिशत	_	पदोन्नति द्वारा
18 सहायक ग्रेड–2	8		१०० प्रतिशत	_	पदोन्नति द्वारा
19 सहायक ग्रेड–3	16	७५ प्रतिशत	25 प्रतिशत		25 प्रतिशत पदोन्नति तथा
					75 प्रतिशत सीधी भरती द्वारा
20 स्टेनो टायपिस्ट	5	100 प्रतिशत			सीधी भरती हारा
21 प्रोग्रामर	4	100 प्रतिशत			संधिदा नियुक्ति
22 डाटा एंट्री ऑपरेटर	4	१०० प्रतिशत			संविदा नियुवित
23 वाहन चालक	3	१०० प्रतिशत	-	_	सीधी भरती द्वारा
24 दफ्तरी	1	-	१०० प्रतिशत	***	पदोन्नति द्वारा
25 जमादार	1		१०० प्रतिशत		पदोन्नति द्वारा
26 भृत्य/चौकीदार/	07	१०० प्रतिशत	·	********	सीधी भरती द्वारा
संदेश वाहक				•	M-0 IND GIN

## अनुसूची —तीन (नियम 8 देखिए)

### सीधी भरती द्वारा नियुक्ति के लिये अर्हता

अनुक्रमांक (1)	पद का नाम (२)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
1.	(2) शीघ्रलेखक	(3) (1) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल या राज्य शासन द्वारा भान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेण्डरी या (102द्ध पद्धति से 12 <sup>भ</sup> उत्तीर्ण होना चाहिए ।
•		(2) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन वोर्ड या राज्य शासन द्वारा मान्सताप्राप्त किसी संस्थान से विहित गति में हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उर्त्तीण होना चाहिए ।
		(3) राज्य शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से किसी एक संस्था से कम से कम एक वर्ष का कम्प्यूटर प्रामण—पत्र / डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण डोना चाहिए ।
		(4) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीण्पी.सी.टी) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
2.	स्टेनो टायपिस्ट	(1) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संरथा से हायर सेकेण्डरी या. (102द्ध पद्धति से 12 <sup>वी</sup> उत्तीर्ण होना चाहिए ।
		(2) विज्ञान राज्य एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा के साथ शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से हिन्दी शीघलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
		(3) राज्य शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था में से किसी एक संस्था से कम से कम एक वर्ष का कम्प्यूटर प्रमाण–पन्न/डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
3.	सहायक ग्रेड3	(1) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल राज्य शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से हायर सेकण्डरी या (10+2) पद्धति से 12वीं उत्तीर्ण की होना चाहिए ।
		(2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीण्पी.सी.टी) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
4. <sub>.</sub>	प्रोग्रामर	(3) राज्य शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था में से किसी एक संस्था से कम से कम एक वर्ष का कम्प्यूटर प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । बी.ई./बी.टेक./एम.सी.ए. के साथ न्यूनतम चार वर्ष के कार्यानुभव जिसमें एएसपी नेट, जेक्वेरी, जावा स्क्रिप्ट तथा एस.क्यू.एल. का ज्ञान हो।

5.	डाटा एंन्ट्री आपरेटर	(1) बी.सी.ए./ कम्प्यूटर रनातक/पी.जी.डी.सी.ए. परीक्षा के साथ अंग्रेजी एवं हिन्दी का ज्ञान तथा दोनों भाषाओं में टंकण का अनुभव होना चाहिए । डाटाबेस से एस.क्यू.एल. में रिपोर्ट जनरेट करने का ज्ञान अनिवार्य है। (2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीण्पी.सी.टी) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
6.	वाहन चालक	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा हल्के गोटर यान चलाने की विधिमान्य वाहन चालन की अनुज्ञप्ति के साथ कम से कम तीन वर्ष के अनुभव होना चहिए ।
7.	भृत्य	किसी मान्यताप्राप्त संरथा से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

टिप्पणी—विचार किए जाने के लिए पात्र प्रत्येक उम्मीदवार को, मध्यप्रदेश में स्थित किसी विद्यालय से यथारिथति हायर सकेण्डरी परीक्षा/आठदी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

अनुसूची —चार (नियम 11 देखिए) पदोन्नित के लिए आवश्यक अर्हताएं एवं विभागीय पदोन्नित समिति का गठन

सेवा का नाम्	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्युनतम अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1) मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा	(2) अवर सचिव/अवर सचिव (विधि)/स्टाफ ऑफीसर	(3) उप सधिव	(4) 5 वर्ष	(5)  1. अध्यक्ष / सदस्य, मध्य प्रदेश लेखः सेवा आयोग अध्यक्ष.  2. राज्य निर्वाचन आयोग कः स्रिवेद—सदस्य  3. राज्य निर्वाचन आयोग क। वित्त सलाहकार या उप सचिव, जिसे राज्य निर्वाचन आयुवत द्वारा नामनिर्देशित
	लेखाधिकारी	अवर सचिव/ अवर सचिव (विधि)	2 वर्ष	किया जाए—सदस्य —तदैव
	निज सचिव / निज सचिव (अंग्रेजी)	स्टाफ अधिकारी	5 वर्ष	<b>-</b> तदैय
	अनुभाग अधिकारी (')	अवर सचिव / अवर सचिव(विधि)	5 वर्ष	तदें <b>य-</b> -
	अनुभाग अधिकारी	लेखा अधिकारी	3 वर्ष	−तंदेद
	सहायक ग्रेड–1/किनेष्ठ लेखाधिकारी	अनुभाग अधिकारी	5 वर्ष	- सहैव
	सहायक प्रोग्रामर	सहायक ग्रेड—1	5 वर्ष	<ol> <li>सचिव —अध्यक्ष</li> <li>वित्त सलाहकार —सदस्य</li> <li>उप सचिव —सदस्य</li> </ol>
	सहायक ग्रेड2/लेखाणल	सहायक ग्रेड–1/ कनिष्ठ लेखाधिकारी	5 वर्ष	-तदैव - <sup>'</sup>
	सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2 ⁄लेखापाल	5 दर्ष	–तदैंग-
	निज सहायक	निज सचिव	5 वर्ष	तदैव

)	(2)	(3)	(4)		(5)
	स्टेनो टायपिस्ट	शीघलेखक	5 वर्ष		तदैव
	जमादार / दफ्तरी भृत्य / चौकीदार / संदेश वाहक	सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष	<ol> <li>वित्त सलाहकार</li> <li>उप सचिव</li> <li>अवर सचिव/स्टाफ अफिसर</li> </ol>	–अध्यक्ष –सदस्य –सदस्य
	भृत्य / चौकीदार / संदेश वाहक	जमादार / दफ्तरी	5 वर्ष	<ol> <li>उप सचिव</li> <li>अवर सचिव/स्टाफ आफिसर</li> <li>लेखाधिकारी</li> </ol>	–अध्यक्ष –सदस्य –सदस्य

#### टिप्पणी:-

(1)

- 1. कालम (5) में यथा उल्लिखित सचिव, वित्त सलाहकार, उप सचिव आदि अधिकारियों से अभिव्रेत है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव, वित्त सलाहकार, उप सचिव आदि ।
- 2. फींडर कांडर में पात्र अभ्यर्थि उपलब्ध नहीं होने की दशा में, अवर सविव/अवर सचिव (विधि) के पद पर पदोन्नित के लिए लेखाधिकारी अनुभाग अधिकारी जिन्हें 5 वर्ष का अनुभव है पर विचार किया जाएगा।
- 3. लेखापाल के पद पर पदोन्नित के लिए सहायक ग्रेड–3 के ऐसे कर्मचारियों को, जो लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण हों. कालम (4) में उल्लिखित अनुभव में 1 वर्ष का शिथिलीकरण दियां जाएगा ।
- 4. (एक) सहायक ग्रेड—3 के पद पर पदोन्नित के लिए कोई भृत्य/चौकीदार/संदेश वाहक तभी पात्र होगा जबिक उपयुक्त अर्हित जमादार/दफ्तरी उपलब्ध न हो और ऐसे कर्मचारी ने आयोग में 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो ।

  (दो) चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड—3 के पद पर पदोन्नित के लिए 10+2 पद्धित के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली के अनुसार हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा मुद्रलेखन परीक्षा एवं कम्प्यूटर परीक्षा पदोन्नित के पांच वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा ।
- 5. उस दशा में जबिक चयन सिमित के सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य न हो तो राज्य निर्वाचन आयुक्त इन प्रवर्गों में से एक अतिरिक्त सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।"।

No. F 19-64/2015/1/4 In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with clause (3) of Article 243-K of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh State Election Commission Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1999, namely:-

#### **AMENDMENTS**

In the said rules, for Schedule-I, II, III, and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:-

## "SCHEDULE-I (see rule 5)

Classification, Pay scale and number of Posts included in the Service.-

S. No	Name of post included in the service	Number of Post	Classification	Scale of Pay + Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,	Joint Election Commissioner/ Secretary	01	Class-I	37400-67000+10000 Grade Pa
2.	Assistant Election Commissioner/ Deputy Secretary	02	Class-I	15600-39100+7600 Grade Pay
3.	Financial Adviser and Chief Accounts Officer	01	Class-I	15600-39100+8700 Grade Pay
4.	Legal Adviser	01	Class-I	15600-39100+7600 Grade Pay
5. 	Deputy Secretary	01	Class-I	15600-39100+7600 Grade Pay
6.	Under Secretary	03	Class-I	15600-39100+6600 Grade Pay
6 A	Under Secretary (Legal)	01	Class-I	15600-39100+6600 Grade Pay
7.	Staff Officer	01	Class-I	15600-39100+6600 Grade Pay
8.	Accounts Officer	02	Class-I!	15600-39100+5400 Grade Pay
9.	Section Officer	06	Class-II	9300-34800+4200 Grade Pay
10.	Private Secretary	02	Class-II	9300-34800+4200 Grade Pay
11.	Private Secretary (English)	01	Class-II	9300-34800+4200 Grade Pay
12.	Personal Assistant	02	Class-III	9300-34800+3600 Grade Pay
13.	Junior Accounts Officer	04	Class-III	9300-34800+3200 Grade Pay
14.	Assistant Grade-1	06	Class-III	
4 A	Assistant Grade-1	01	Class-III	9300-34800+3200 Grade Pay 9300-34800+3200 Grade Pay

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Stenographer	04	Class-III	9300-34800+3200 Grade Pay
16.	Assistant Programmer (Dying Cadre in future)	01	Class-III	5200-20200+2800 Grade Pay
17.	Accountant/Cashier	02	Class-III	5200-20200+2400 Grade Pay
18.	Assistant Grade-2	08	Class-III	5200-20200+2400 Grade Pay
19.	Assistant Grade-3	16	Class-III	5200-20200+1900 Grade Pay
20.	Steno Typist	05	Class-III	5200-20200+1900 Grade Pay
21.	Programmer	04	Class-III	28350 *
22.	Data Entry Operator	04	Class-III	10260 *
23.	Driver	03	Class-III	5200-20200+1900 Grade Pay
24.	Daftari	01	Class-IV	4440-7440±1400 Grade Pay
25.	Jamadar	01	Class-IV	4440-7440+1400 Grade Pay
26.	Peon/Watchman/Messenger	07	Class-IV	4440-7440+1300 Grade Pay

\*Note: Consolidated pay calculated on the basis of Department of Panchayat and Rural Development, Government of Madhya Pradesh vide their circular No 4498/NR-2/MANREGA/2011 dated 04-05-2011. The same shall be revised as and when revision in the above said circular takes place.

#### SCHEDULE-II (see rule 6) Method of recruitment

S.No.	Name of Post	Number	Percentage of	of number of prints in	Remarks	
		of post	By direct recruitment	By promotion of	By deputation or transfer of persons from	
				members of the service	other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Joint Election Commissioner/ Secretary	01	-	-	100%	Officer of Indian Administrative Service in Supertime Scale.
2	Assistant Election Commissioner/ Deputy Secretary	02	-	-	100%	Officer of State Administrative Service in Selection Grade.
3.	Financial Adviser and Chief Accounts Officer	01	-	-	100%	Officer of M.P. Finance and Accounts Service in the rank of Additional Director.
4.	Legal Adviser	01	-	-	100%	Officer shall be appointed on "Contract" if suitable Officer is not available on Deputation/ transfer basis
5.	Deputy Secretary	01	•	100%		The Post shall be filled by deputation/transfer from the State Government in case a suitable Officer is not available.
6.	Under Secretary	03	-	100%	-	By Promotion
6 A	Under Secretary (Legal)	01		100%	-	By Promotion (Law Graduate)
7.	Staff Officer	01		100%	-	By Promotion

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Accounts Officer	02	<u>-</u>	50%	50%	One post shall be filled from the cadre of the Section Officers and the other by deputation of an Officer of the M.P. Finance and Account Service.
9.	Section Officer	06	-	100%		By promotion. The Post shall be filled by deputation/transfer from the State Government in case a suitable Officer is not available.
10.	Private Secretary	02	<del>-</del>	100%	-	By promotion. The Post shall be filled by deputation/transfer from the State Government in case a suitable Officer is not available.
11.	Private Secretary (English)	01	-	-	100%	The Post shall be filled by Deputation.
12.	Private Assistant	02	-	100%	-	By Promotion
13.	Junior Accounts Officer	04	-	50%	50%	2 Posts shall be filled by Promotion and 2 Post shall be filled by deputation.
14.	Assistant Grade-1	06		100%	***	By Promotion
14 A	Assistant Grade-1	01	-	100%	-	Post shall be filled by promoting Assistant Programmer
15.	Stenographer	04	50%	50%	-	2 Posts shall be filled by Promotion and 2 posts shall be filled by direct recruitment
16.	Assistant Programmer	01	100%	-	•	Dying Cadre in future.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	Accountant/Cashier	02	•	100%	-	By Promotion
18.	Assistant Grade-2	ssistant Grade-2 08 - 100% -		By Promotion		
19.	Assistant Grade-3	16	75%	25%	-	25% by Promotion and 75% direct recruitment.
20.	Steno Typist	05	100%		-	Direct recruitment
21.	Programmer	04	100%	*	-	Contract appointment
22.	Data Entry Operator	04	100%	•	-	Contract appointment
23.	Driver	03	100%	-	<b>a</b>	Direct recruitment
24.	Daftari	01		100%	-	By Promotion
25.	Jamadar 01		-	100%	*	By Promotion
26.	Peon/Watchman/ Messenger	07	100%	-	_	By Direct recruitment

#### SCHEDULE-III

### (see rule 8)

## Qualification for appointment by Direct Recruitment

S.No.	Name of post	Prescribed Educational Qualifications			
(1)	(2)	(3)			
1.	Stenographer	<ol> <li>Must have passed Higher Secondary or 12<sup>th</sup> in (10+2) pattern from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or from any Institution recognized by the State Government.</li> <li>Must have passed Hindi Shorthand recognized by the Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board or any Institution recognized by the State Government with prescribed speed.</li> <li>Must have passed at least one year computer certificate/diploma examination from amongst any institution recognized by the State Government.</li> <li>Must have passed Computer Proficiency Certification Test (CPCT) examination conducted by Department of Science and Technology.</li> </ol>			

	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
2. Steno Typist  1. Must have passed Higher Secondary or 12 <sup>th</sup> in (10+2) pattern from the B Secondary Education, Madhya Pradesh or from any Institution recognized State Government.  2. Must have passed Computer Proficiency Certification test examination core by Department of Science and Technology with a minimum speed of 80 worminute in Hindi Stenography from any Institution recognized by the Government.  3. Must have passed at least one year computer certificate/diploma examination any Institution recognized by the State Government.  3. Must have passed Higher Secondary or 12 <sup>th</sup> in (10+2) pattern from Bosecondary Education, Madhya Pradesh or from any Institution recognized State Government.  2. Must have passed Computer Proficiency Certification Test examination (Characteristic Conducted by Department of Science and Technology.  3. Must have passed at least one year computer certificate/diploma examination amongst any institution recognized by the State Government.  4. Programmer  Must have passed B.E / B.Tech. / M.C.A with minimum 4 years working experience.				sh or from any Institution recognized by the acy Certification test examination conducted logy with a minimum speed of 80 words per any Institution recognized by the State computer certificate/diploma examination from Government.  For 12 <sup>th</sup> in (10+2) pattern from Board of the or from any Institution recognized by the cy Certification Test examination (CPCT) — d Technology.  In the minimum 4 years working experience of			
kn kn 2. co			know know 2. cond	knowledge and experience of English and Hindi typing in both languages Must have knowledge of generating reports using SQL from database.			
7.	Peon		Must	have passed Standard	VIII from a reco	gnized institution.	

Note: Every candidate to be eligible for consideration must have passed the Higher Secondary Examination/VIII class as the case may be, from schools situated in Madhya Pradesh.

#### SCHEDULE- IV

(see rule 11)

## Essential qualifications for Promotion and Constitution of Departmental Promotion Committee

Name of Service	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Minimum Experience for promotion	Members of the Departmental Promotion Committee
. (1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Madhya Pradesh State Election Commission Service	Under Secretary / Under Secretary (Law) / Staff Officer	Deputy Secretary  Under Secretary /	5 years	Chairman / Member Madhya     Pradesh Public Service     Commission - Chairman      Secretary of State     Election Commission - Member      Financial Adviser or Deputy     Secretary of the State     Election Commission,     whoever may be nominated     by the State Election     Commissioner - Member
	Accounts Officer	Under Secretary (Law)	2 years	-400-
	Personal Secretary / Personal Assistant (English)	Staff Officer	5 years	-do-
	Section Officer (*)	Under Secretary / Under Secretary (Law)	5 years	-do-
	Section Officer	Accounts Officer	3 years	-do-
	Assistant Grade - 1 / Junior Accounts Officer	Section Officer	5 years	-do-
	Assistant Programmer	Assistant Grade – 1	5 years	Secretary - Chairman     Financial Adviser - Member     Deputy Secretary - Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Assistant Grade -2 / Accountant	Assistant Grade – 1  Junior Accounts  Officer	5 years	-do-
	Assistant Grade – 3	Assistant Grade -2 / Accountant	5 years	-do-
	Personal Assistant	Personal Secretary	5 years	-do-
	Steno Typist	Stenographer	5 years	-do-
	Jamadar / Daftari Peon / Watchman / Messenger	Assistant Grade – 3	5 years	Financial Adviser - Chairman     Deputy Secretary - Member     Under Secretary / Staff Officer - Member.".
	Peon / Watchman / Messenger	Jamadar / Daftari	5 years	Deputy Secretary - Member     Under Secretary / Staff Officer - Member     Accounts Officer - Member

#### Note:

- The officers such as Secretary, Financial Adviser, Deputy Secretary etc. as mentioned in column (5), is meant the Secretary, Financial Adviser, Deputy Secretary etc. of the Madhya Pradesh State Election Commission.
- In case of non availability of the eligible candidate in the feeder cadre (Accounts Officer), Section Officer having experience of 5 years shall be considered for promotion to the post of Under Secretary / Under Secretary (Law).
- 3. A relaxation of 1 year shall be granted in the experience required for promotion to the post of Accountant, as mentioned in column (4), to such Assistant Grade-3 employees who as have passed the Accounts Training Examination.
- 4. (i) A peon/Watchman/Messenger shall be eligible for promotion to the post of Assistant Grade-3 only if suitable qualified Jamadar/Daftari is not available and such an employee has completed five years continuous service in the Commission.
  - (ii) A IVth class employee shall be eligible for promotion to the post of Assistant Grade-3, only if he or she must have passed 12th (under 10+2 pattern) or Higher Secondary examination and will have to qualify computer examination and hindi typing within five years of promotion.
  - 4. In case the Selection Committee does not have a member belonging to a Scheduled Caste or Scheduled tribe or a Backward Class, the State Election Commissioner shall nominate an additional member from amongst these categories. ".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, उपसचिव.